

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 26ए/17

संस्थापन दिनांक:-23.08.17

फाईलिंग नं. 34/2017

उमाशंकर पिता विपत, उम्र 60 वर्ष
 निवासी लीलाझर, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्ध

1. रामकिशोर पिता विपत साहू, उम्र 48 वर्ष
 निवासी लीलाझर, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)
2. भागवती पिता विपत साहू पति फागू साहू
 निवासी नेहरू वार्ड ताप्ती नगर मुलताई,
 तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. सरस्वती पिता विपत साहू पति गुल्लू साहू
 निवासी मोरखा, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
 जिला बैतूल (म.प्र.)

..... प्रतिवादीगण

—: (आदेश) :-

(आज दिनांक 27.09.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 01 से 03 सगे भाई-बहन हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी पैतृक भूमि ख.नं. 98, 99, 101, 109, कुल रकबा 9.628 हे. है जिसका वादी के पिता विपत ने वर्ष 2000 में मौखिक बंटवारा कर दिया था जिसमें से आठ एकड़ भूमि वादी को तथा आठ एकड़ भूमि प्रतिवादी क्र. 01 रामकिशोर को तथा शेष आठ एकड़ भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता विपत ने अपने पास रख ली थी। साथ ही उसी दौरान यह भी तय हुआ था कि विपत एवं उनकी पत्नी कस्तूरीबाई की मृत्यु के पश्चात जो आठ एकड़ भूमि विपत के हिस्से में आयी उसके दो बंटवारे होकर

चार एकड़ वादी उमाशंकर तथा चार एकड़ प्रतिवादी रामकिशोर को प्राप्त होगी तथा मौखिक बंटवारे में प्रतिवादी क्र. 02 एवं 03 को कोई भी भूमि नहीं दी गयी। साथ ही उनके द्वारा भूमि में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया गया था।

3 वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता विपत की मृत्यु वर्ष 2001 में हो चुकी है तथा उनकी मां कस्तूरीबाई की मृत्यु दिनांक 01.07.2015 को हो गयी है। तत्पश्चात वादी के द्वारा प्रतिवादी क्र. 01 को पूर्व बंटवारे अनुसार एवं पिता के निर्देशानुसार उनकी आठ एकड़ भूमि में बंटवारा करने के लिए कहा गया परंतु प्रतिवादी क्र. 01 ने प्रतिवादी क्र. 2 एवं 03 को बहला फुसलाकर तहसील न्यायालय में उपर्युक्त भूमियों के बंटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसमें वादी के द्वारा आपत्ति किये जाने पर बंटवारे की कार्यवाही तीन माह के लिए स्थगित कर वादी को सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। चूंकि पिता के अनुसार किये गये मौखिक बंटवारे अनुसार वादी स्वयं को प्राप्त आठ एकड़ भूमि पर निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादी के अंश से अधिक भूमि पर कब्जा करने, विवादित भूमि का विक्रय करने एवं तहसील न्यायालय में विवादित भूमि के विभाजन की कार्यवाही करने से रोका जाये।

4 प्रतिवादीगण क्र. 01, 02 एवं 03 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमियों का उनके पिता विपत के जीवनकाल में कोई बंटवारा नहीं हुआ था तथा विपत एवं उनकी मां कस्तूरीबाई की मृत्यु उपरांत भी सभी वारसान शामिल रूप से काबिज चले आ रहे हैं जिस पर सभी वारसानों का अर्थात् वादी एवं प्रतिवादीगण का समान अंश है। असत्य आधारों पर वादी ने आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि सव्यय निरस्त किया जावे।

5 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

6 वादी ने तर्क में यह प्रकट किया है कि विवादित भूमियों के वर्तमान में नवीन नंबर 39, 59, 60, 61 हो चुके हैं। इस तर्क पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं ली गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा भी मौखिक रूप से यह बताया गया कि विवादित भूमि के नवीन नंबर 39, 59, 60, 61 हो चुके हैं।

7 वादी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र तथा दस्तावेज किशतबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2016-17 प्रस्तुत किया है जिनके अवलोकन से ख.नं. 39, 59, 60, 61 वादी, प्रतिवादीगण एवं उनकी मां कस्तूरी के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 07.06.2017 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादीगण के द्वारा ख.नं. 98, 99, 101, 109 का बंटवारा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रकरण की कार्यवाही स्वत्व के निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराये जाने हेतु स्थगित की गयी है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में मात्र स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8 वादी ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि उसके पिता विपत ने अपने जीवन काल में वर्ष 2000 में विवादित भूमियों का मौखिक बंटवारा कर दिया था। बंटवारे में आठ एकड़ भूमि उसके हिस्से में आयी थी एवं आठ एकड़ प्रतिवादी रामकिशोर के हिस्से में आयी थी। शेष आठ एकड़ उनके पिता विपत ने अपने पास रख लिया था और यह तय हुआ था कि उनकी मृत्यु उपरांत यह आठ एकड़ वादी एवं प्रतिवादी क्र. 01 को बराबर-बराबर मिलेगा तथा प्रतिवादी क्र. 02 एवं 03 ने कोई भी हिस्सा लेने से मना कर दिया था। मौखिक तर्क ने वादी अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया है कि यदि प्रतिवादी क्र. 02 एवं 03 को कोई हिस्सा मिलता भी है तो वह मात्र विपत के हिस्से में आयी आठ एकड़ भूमि पर ही मिलेगा।

9 वादी ने विवादित भूमियों का मौखिक बंटवारा होना बताया है। वादी के पिता विपत की मृत्यु वर्ष 2001 में हो गयी परंतु वादी की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि मौखिक बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं। न ही वादी की ओर से पड़ोसी काश्तकारों का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक बंटवारा अनुरूप अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं। जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होना अर्थात् शामिल शरिक दर्ज होना प्रकट हो रही है। स्पष्टतः वादी का विवादित भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य है परंतु यह साक्ष्य का विषय है कि विवादित भूमि पर किसका कितना अंश होगा। प्रथम दृष्टया वादी का विवादित

भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ बराबर का हित है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन हेतु प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

10 प्रथम दृष्टया विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित पाया गया है परंतु विवादित भूमि सहस्वामित्व की भूमि है, सहस्वामित्व की भूमि पर प्रत्येक सहस्वामी का भूमि के प्रत्येक अंश पर हित एवं अधिकार होता है। यह सुस्थापित विधि है कि एक सहस्वामी के पक्ष में और दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध संपत्ति के आधिपत्य, उपयोग और उपभोग को रोकने के लिए व्यादेश नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अन्य खातेदार विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेंगे परंतु यदि विवादित भूमि के विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण पर रोक नहीं लगायी जाती है तो निश्चित ही वादी को तीसरे व्यक्ति को भी पक्षकार बनाना होगा जिससे वाद बाहुल्यता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी को निश्चित ही इससे असुविधा होगी और उससे होने वाली क्षति प्रतिवादी की तुलना में अत्यधिक होगी।

11 वादी के द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से यह भी सहायता चाही गयी है कि प्रतिवादीगण को तहसील न्यायालय में विवादित भूमि के विभाजन कार्यवाही करने से रोका जाये परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब तक विवादित भूमि पर प्रत्येक पक्षकार के अंश/स्वत्व का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक विभाजन की कार्यवाही स्वतः स्थगित रहेगी तथा विवादित भूमि पर किस पक्षकार का कितना अंश होगा यह विधिवत साक्ष्य उपरांत ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पृथक से वादी को इस संबंध में कोई सहायता दी जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

12 फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख.नं. 98, 99, 101, 109, जिनके नवीन ख.नं. 39, 59, 60, 61 कुल रकबा 9.628 हे. स्थित ग्राम लीलाझर, तहसील आमला, जिला बैतूल का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से ना करे।

13 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रालिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल